चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 22.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 22.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 श्री अजहर जमाल व मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमारस थाना सरधुवा द्वारा मु0अ0सं0 294/2007 धारा 457/380/411 भादवि के वारण्टी अभियुक्त 1. राजू सिंह पुत्र मुन्नू सिंह 2. बऊआ उर्फ अर्जुन पुत्र नत्थू सिंह निवासीगण ग्राम भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय व आरक्षी रणवीर सिंह थाना भरतकूप द्वारा केस नं0 35/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट वारण्टी अभियुक्त अवधेश प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र स्व0 सत्यनारायण निवासी निवासी अखबरपुर थाना भरतकूप को गिरफ्तार किया गया।

(3). वरि0उ0न0 श्री मनीष कुमार व उ0नि0 श्री सत्यनारायण थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट व आरक्षी शुभम द्विवेदी द्वारा वाद सं0 78/24 धारा 125(3) सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त धमेन्द्र पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम अशोह थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट मय हमराही आरक्षी जीतेन्द्र मौर्या,महिला आऱक्षी रीना यादव द्वारा मु0अ0स0 35/2025 धारा 108 बीएनएस के वांछित अभियुक्ता शहरुन्निसा पत्नी अब्बास अली निवासी सेमरिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊ व थाना सरधुवा पुलिस द्वारा 01-01 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1). उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला व आरक्षी बृजेन्द्र राय थाना मऊ द्वारा अभियुक्त लसाई पुत्र भण्डारी निवासी मवईकला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबाकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(2). उ0नि0 श्री अजहर जमाल व मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार थाना सरधुवा द्वारा अभियुक्त सुमेर सोनकर पुत्र कल्लू सोनकर निवासी जालंधर का पुरवा मजरा सरधुवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबाकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती नेहा सिंह पत्नी प्रकाश सिंह निवासी रक्षपालपुर थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर ने महिला थाना के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति प्रकाश सिंह द्वारा शराब पीकर मारपीट तथा गाली गलौज करने के सम्बन्ध में महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति-पत्नी आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती नीलम देवी

2.महिला मुख्य आरक्षी लता त्रिपाठी